



नीति आयोग द्वारा की गई पहल के मुख्य बिंदु

Posted On: 02 JUN 2017 2:05PM by PIB Delhi

नीति आयोग, National Institution for Transforming India का गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के संकल्प के माध्यम से दिनांक 1 जनवरी 2015 को हुआ था। नीति आयोग भारत सरकार के एक प्रमुख नीति निर्धारक “थिंक टैंक” के रूप में उभरा है जो कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सक्रिय नेतृत्व में सहकारी संघवाद की भावना को पोषित कर रहा है। नीति आयोग ने अपनी शुरुआत से ही अर्थव्यवस्था को सुचारु बनाए रखने और देशभर में करोड़ों लोगों के जीवन का रूप परिवर्तन करने के लक्ष्य से कई पहलें की हैं।

नीति आयोग द्वारा की गई मुख्य पहलुओं का विवरण निम्नलिखित है :-

1. **बारहवीं पंचवर्षीय योजना के बाद विजन डॉक्यूमेंट, रणनीति एवं कार्य योजना-** 31 मार्च 2017 के बाद से पंचवर्षीय योजनाओं को बदलते हुए नीति आयोग 15 वर्षों की अवधि के लिए निर्धारित और/ या प्रस्तावित सामाजिक लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए 15 वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने की प्रक्रिया में है। दीर्घावधि विजन को क्रियान्वन योग्य नीति में परिवर्तित करने और राष्ट्रीय विकास एजेंडा के अंश के रूप में कार्यवाही के लिए 2017-18 से 2023-24 की अवधि के लिए 7 वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट पर काम किया जा रहा है। 14वें वित्त आयोग अवार्ड अवधि के दौरान वित्तीय संसाधनों संभाव्यता के अनुरूप, 2017-18 से 2019-20 के लिए तीन वर्षीय कार्य योजना एजेंडा बनाया जा चुका है और इसे 23 अप्रैल को तीसरी शासी परिषद बैठक में माननीय प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

1. कृषि क्षेत्र में सुधार :

(क) आदर्श भूमि पट्टा कानून

पट्टा देने और लेने की बढ़ती घटनाओं एवं कम संख्या में किसानों द्वारा भूमि का उपानुकूलतम प्रयोग को ध्यान में रखते हुए, नीति आयोग ने किरायेदारों के अधिकारों की पहचान और भूमि मालिकों के हितों की रक्षा के लिए आदर्श कृषि योग्य भूमि पट्टा अधिनियम 2016 बनाया है। नीति आयोग में भूमि सुधारों के लिए एक विशेष समर्पित प्रकोष्ठ की स्थापना भी की गई है। इस आदर्श अधिनियम के आधार पर मध्य प्रदेश सरकार ने, पृथक भूमि पट्टा कानून लागू किया है और उत्तरप्रदेश और उत्तराखंड सरकार ने अपने-अपने कानूनों को बदल रही हैं। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सहित कई राज्य कृषि के लिए अपने भूमि पट्टा कानूनों को लागू करने के लिए विधान बनाने के अग्रिम चरण पर हैं।

(ख) कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम के सुधार

नीति आयोग ने दिनांक 21 अक्टूबर 2016 को निम्नलिखित तीन महत्वपूर्ण सुधारों पर राज्यों के साथ परामर्श किया था-

(i) कृषि विपणन सुधार

(ii) निजी भूमि पर वृक्षउपज की कटाई और पारवहन कानून

(iii) कृषि भूमि पट्टा

इसके परिणामस्वरूप, आदर्श एपीएमसी अधिनियम संस्करण 2 तैयार किया गया। एपीएमसी अधिनियम संस्करण 2 को अपनाने के लिए राज्यों के साथ परामर्श किया जा रहा है।

(ग) कृषि विपणन और किसान अनुकूल सुधार सूचकांक

नीति आयोग ने कृषि बाजार सुधार, भूमि पट्टा सुधार और निजी भूमि पर वानिकी (पेड़ों की कटाई और पारवहन) के तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधार शुरू करने की जरूरत के बारे में राज्यों को संवेदनशील बनाने हेतु पहली बार ‘कृषि विपणन एवं किसान अनुकूल सुधार सूचकांक’ विकसित किया है। इस सूचकांक में चयनित क्षेत्रों में कोई भी सुधार लागू न करने के लिए न्यूनतम ‘0’ अंक और पूर्ण सुधार लागू करने के लिए अधिकतम ‘100’ अंक दिए जाते हैं।

नीति आयोग के सूचकांक के अनुसार, महाराष्ट्र विभिन्न कृषि संबंधित सुधारों के कार्यान्वयन में सबसे आगे है। महाराष्ट्र में अधिकतर विपणन सुधारों को लागू किया है और यह सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में से कृषि व्यवसाय शुरू करने के लिए सर्वश्रेष्ठ वातावरण प्रदान करता है। इस सूचकांक में गुजरात द्वितीय नंबर पर है जिसके कुल अंक 100 में से 71.50 अंक हैं। इसके बाद राजस्थान और मध्यप्रदेश का नंबर आता है। वर्ष 2016- 17 में लगभग दो तिहाई राज्य सुधारों के अंक में आधे अंक भी नहीं प्राप्त कर पाए हैं। इस सूचकांक का उद्देश्य विभिन्न राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करना है और किसान अनुकूल सुधारों को लागू करने में अच्छी प्रथाओं को शामिल करना है।

iii. चिकित्सा शिक्षा में सुधार

नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समिति ने भारतीय चिकित्सा परिषद को खत्म करने की अनुसंधान की और चिकित्सा शिक्षा को विनियमित करने के लिए एक नए निकाय का निर्माण करने का सुझाव दिया। प्रस्तावित राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के लिए प्रारूप विधान को आवश्यक कार्यवाही के लिए भारत सरकार को प्रस्तुत किया गया है।

1. डिजिटल भुगतान आंदोलन

- सामान्य जनता, सूक्ष्म उद्योग और अन्य हितधारकों के बीच डिजिटल भुगतान के पक्ष समर्थन, जागरूकता और समन्वय संबंधी एक कार्य योजना तैयार की गई थी। व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए, इस विषय पर फ्रिट और मल्टीमीडिया माध्यम में उचित सामग्री भी तैयार की गई थी। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों / विभागों, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के प्रतिनिधियों, व्यापार और उद्योग जगत के साथ-साथ अन्य सभी हितधारकों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए नीति आयोग द्वारा प्रेजेंटेशन और संवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था।
- नीति आयोग ने देशभर में पारदर्शिता, वित्तीय समावेशन और स्वस्थ वित्तीय प्रणाली को प्रोत्साहित करने के लिए दिनांक 30 नवंबर 2014 को आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में डिजिटल भुगतान संबंधी मुख्यमंत्रियों की समिति का गठन किया था। इस समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट माननीय प्रधानमंत्री को जनवरी 2017 में प्रस्तुत की है।
- डिजिटल लेन-देन के प्रोत्साहन के लिए राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को प्रोत्साहित करने के लिए 5 करोड़ जनधन खातों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार के कार्यक्रमलाप शुरू करने के लिए सभी जिलों को 50 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- भीम ऐप के माध्यम से डिजिटल लेन-देन के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए दिनांक 14 अप्रैल 2017 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैशबैक और रेफरल बोनस स्कीम लॉन्च की थी।
- नीति आयोग ने भी समाज के सभी वर्गों के बीच डिजिटल लेन-देन को प्रोत्साहित करने के लिए दो प्रोत्साहन स्कीमों - लकी ग्राहक योजना और डिजी धन व्यापार योजना का शुभारंभ किया था। इन दोनों स्कीमों के अंतर्गत लगभग 16 लाख उपभोक्ताओं और व्यापारियों ने 256 करोड़ रुपए इनाम के रूप में जीते हैं।
- दिनांक 25 दिसंबर 2016 से 14 अप्रैल 2017 तक 100 शहरों में 100 दिनों के लिए डिजीधन मेला का आयोजन किया गया था।

1. अटल नवाचार मिशन

भारत सरकार ने देश के नवाचार और उद्यमशीलता वातावरण को मजबूत बनाने की दृष्टि से विद्यालयों, महाविद्यालयों और सामान्य उद्यमियों को नवाचार का प्रोत्साहन प्रदान करने वाले संस्थानों और कार्यक्रमों को शुरू करके नीति आयोग में अटल नवाचार मिशन की स्थापना की है। वर्ष 2016-17 में निम्नलिखित मुख्य स्कीम शुरू की गई थी :-

(क) **अटल टिकरिंग प्रयोगशाला (एटीएल) -** विद्यार्थियों में सृजनात्मकता और वैज्ञानिक प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने के लिए अटल नवाचार मिशन संपूर्ण भारत के स्कूलों में 500 अटल टिकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित करने में मदद कर रहा है। इन प्रयोगशालाओं में विद्यार्थी हाल ही के वर्षों में उभरी हुई तीव्र आदिप्रारूप प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए अपने आसपास देखे जाने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए डिजाइन और सूक्ष्म आदिप्रारूप बना सकेंगे।

(ख) **अटल इंक्यूबेशन सेंटर (एआईसी)-** अटल नवाचार मिशन समस्त भारत में अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने के लिए 10 करोड़ की वित्तीय सहायता और क्षमता निर्माण प्रदान करेगा। इसके माध्यम से स्टार्टअपों को विनिर्माण, परिवहन, ऊर्जा, शिक्षा, कृषि, जल एवं स्वच्छता आदि जैसे आधारभूत क्षेत्रों में तीव्र और नवाचारी उद्यमशीलता को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

1. **स्वास्थ्य, शिक्षा और जल प्रबंधन में राज्यों की प्रदर्शन-मापी सूचियां** - बेहतर परिणामों पर प्रधानमंत्री के ध्यान के रूप में, नीति आयोग बेहतर परिणामों के लिए राज्यों को एक दूसरे से प्रतिस्पर्धी माहौल में ले जाने की दृष्टि और एक प्रतिस्पर्धी एवं सहकारी संघवाद का उदाहरण देते हुए एक दूसरे की सहायता करने के लिए अच्छी प्रथाओं और नवाचारों को एक दूसरे से साझा करने की दृष्टि से नीति आयोग ने स्वास्थ्य, शिक्षा और जल प्रबंधन जैसे सामाजिक महत्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्रों में वार्षिक परिणाम वृद्धि को मापने के लिए विभिन्न सूचियां तैयार की हैं।

Vii. केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों का युक्तिकरण से संबंधित मुख्यमंत्रियों का उपसमूह- इस उपसमूह की अनुशंसाओं पर नीति आयोग द्वारा एक मंत्रिमंडलीय नोट तैयार किया गया था, जिसे दिनांक 3 अगस्त 2016 को मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी प्रदान की गई थी। विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयों में से, इस उपसमूह ने विद्यमान केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों का युक्तिकरण करने के लिए उन्हें 28 मुख्य स्कीमों में विभाजित किया है।

viii. स्वच्छ भारत अभियान पर मुख्यमंत्रियों का उपसमूह- इस उपसमूह का गठन नीति आयोग ने दिनांक 9 मार्च 2015 को किया था। इस उपसमूह ने अक्टूबर 2015 में माननीय प्रधानमंत्री को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और उपसमूह की अधिकतर सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है।

1. **कौशल विकास संबंधी मुख्यमंत्रियों का उपसमूह** - इस समूह का गठन 9 मार्च 2015 को किया गया था। कौशल विकास संबंधी मुख्यमंत्रियों का उपसमूह की रिपोर्ट दिनांक 31 दिसंबर 2015 को माननीय प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। इस उपसमूह की सिफारिशों और रिपोर्ट से उभरने वाले कार्रवाई योग्य बिंदुओं को माननीय प्रधानमंत्री जी ने मंजूरी दे दी थी और इनका कार्यान्वयन कौशल विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।
1. **भारत में गरीबी उन्मूलन संबंधी कार्यदल-** इस कार्यदल का गठन दिनांक 16 मार्च 2015 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष, डॉक्टर अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता में किया गया था। इस कार्यदल की रिपोर्ट को अंतिम रूप देकर दिनांक 11 जुलाई 2016 को माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रस्तुत किया गया था। कार्यदल की रिपोर्ट में गरीबी के आंकलन और गरीबी कम करने के लिए रणनीतियों के मामले पर मुख्य रूप से विचार किया गया है। गरीबी के आंकलन के संदर्भ में कार्यदल की रिपोर्ट बताती है कि तैदुलकर या उच्च गरीबी रेखा दोनों में से किसी के पक्ष में सहमति नहीं बन पाई है। इसलिए कार्यदल ने यह निष्कर्ष निकाला कि इस मामले को अंतिम रूप देने से पहले देश के गरीबी संबंधी उच्च विशेषज्ञ द्वारा इसका गहन विश्लेषण किया जाए। तदनुसार, यह सिफारिश की गई थी कि गरीबी रेखा के स्तर को निर्धारित करने के लिए एक संगत निर्णय पर पहुंचने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाए। इस कार्यदल ने रोजगार आधारित संतुलित तीव्र विकास और गरीबी विरोधी कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से गरीबी में तेजी से कटौती करने की सिफारिश की थी।
1. **कृषि विकास संबंधी कार्यदल-** इस कार्यदल का गठन दिनांक 16 मार्च 2015 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष, डॉक्टर अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता में किया गया था। इस कार्यदल ने अपने कार्यों के आधार पर भारतीय कृषि के पांच महत्वपूर्ण क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए, “ कृषि उत्पादकता और खेती को किसानों के लिए लाभकारी बनाना” शीर्षक से एक सामाजिक पत्र तैयार किया था। ये पांच महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं (1) उत्पादकता में बढ़ोतरी (2) किसानों को लाभकारी कीमत (3) भूमि पट्टा, भूमि रिकॉर्ड और भूमि उपाधियां (4) द्वितीय हरित क्रांति- पूर्वी राज्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए (5) किसानों की कठिनाइयों का समाधान करना। सामाजिक पत्र पर सभी राज्यों की टिप्पणियां लेने और उनकी रिपोर्टों के माध्यम से सूचना प्राप्त करके इस कार्यदल ने अपनी अंतिम रिपोर्ट दिनांक 31 मई 2016 को प्रधानमंत्री को प्रस्तुत की। इस कार्यदल ने किसानों के कल्याण के लिए कृषि क्षेत्र में सुधार लाने और किसानों की आय को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत उपायों का सुझाव दिया है।

Xii. भारत परिवर्तन व्याख्यानमाला- भारत सरकार के प्रमुख थिंक टैंक के रूप में नीति आयोग राज्य में वास्तविक परिवर्तन को लाने के लिए ज्ञान निर्माण और अंतरण को महत्वपूर्ण घटक मानता है। राज्यों और केंद्र के लिए ज्ञान प्रणालियों का निर्माण करने के लिए नीति आयोग ने दिनांक 26 अगस्त 2016 को प्रधानमंत्री के पूर्ण समर्थन के साथ नीति व्याख्यानमाला भारत परिवर्तन श्रृंखला का उद्घाटन किया। इस व्याख्यानमाला का उद्देश्य मंत्रिमंडल के सदस्यों और ब्यूरोक्रेसी के उच्च व्यक्तियों सहित भारत सरकार के कुछ नीति निर्णायक दलों को संबोधित करना है। इसका उद्देश्य भारतीय नीति निर्धारकों और नीति निर्माता और जनता में अत्याधुनिक विकास नीतियों का विचार प्रदान करना है, जिससे कि भारत का परिवर्तन एक समृद्ध आधुनिक अर्थव्यवस्था में हो सके। सिंगापुर के माननीय प्रधानमंत्री श्री हरमन बणमुगनाथन ने ‘भारत और वैश्विक अर्थव्यवस्था’ विषय पर पहला व्याख्यान दिया। दिनांक 16 नवंबर 2016 को बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह-संस्थापक श्री बिल गेट्स ने ‘प्रौद्योगिकी और रूप परिवर्तन’ विषय पर इस व्याख्यान माला की श्रृंखला में द्वितीय व्याख्यान दिया।

AKT/SH/RK/HJ